आज्ञा से

(5)

18.12.25

पत्रावली वादीया एवं अधिवक्ता द्वारा उपस्थित हुए उनके द्वारा प्रार्थना पत्र पत्रावली तलबी एवं प्रा० बिड्रो का 023R1 पेश करने पर सिगाह से तलब होकर पेश हुई। वादी अधिवक्ता द्वारा वादिया की पहचान की गई। वादिया द्वारा कथन किया गया कि वादिया एवं प्रतिवादीगण के मध्य लोकअदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है जिससे अब कोई कार्यवाही चाहती है अतः वाद बिड्रो फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण तामिल हेतु नियत है। वादीया कार्यवाही नहीं चाहकर बिड्रो करना चाहती है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद बिड्रो करने की अनुमति प्रदान की जाती है। वादिया द्वारा वाद बिड्रो किए जाने से इसी स्तर पर निस्तारित किया जाता है। निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(अतुला कोटेचा)
IAS
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर